भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4245
13.12.2019 को उत्तर के लिए

पुराने वाहनों को चलाने पर रोक

4245. श्री के. षणमुग सुंदरम:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी) ने हाल ही में दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन आदेशों को लागू करने के लिए दिल्ली राज्य सरकार से कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यदि नहीं, तो अपेक्षित समय-सीमा कितनी है जिसके अंदर राज्य सरकार को एन.जी.टी के आदेशों का पालन करना चाहिए; और
(ङ) क्या दिल्ली सरकार ने इन आदेशों को लागू करने में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ड.): माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिनांक 07.04.2015 के अपने आदेश में और तदुपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.10.2018 के आदेश में दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली-एनसीआर का परिवहन विभाग इस आदेश को कार्यान्वित कर रहा है और ऐसे वाहनों की सूची रखी गई है जिसे दिल्ली परिवहन विभग की वेबसाइट यूआरएल लिंक (transport.delhi.gov.in) पर देखा जा सकता है।

****